न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर,सवाईमाधोपुर
पीठासीन अधिकारी—श्री भगवत सिंह देवल

अपील (अवैध खनन) 50/12 तारीख रजू— 12/03/12

सरकार जरिये तहसीलदार बामनवास ——अपीलार्थी

बनाम

बालाजी कन्सट्रक्शन कम्पनी प्रो0 शिशुपाल पुत्र छोटेलाल चौधरी निवासी जयपुर हाल निवासी लिवाली —————— रेस्पो0

निर्णय दिनांक—30/01/2017

अपीलार्थी ने यह अपील राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम,1956 की धारा 89 (7) के अन्तर्गत रेस्पोडेन्टस द्वारा ग्राम लिवाली में स्थित भूमि खं0नं0 26 व 28 किस्म चरागाह रकबा 1.90 है0 में से लगभग 10 मीटर गहराई तक अवैध खनन करने के विरूद्व प्रस्तुत की है ।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी की तलबी जरिये नोटिस व रजिस्टर्ड नोटिस की गई लेकिन प्रत्यर्थी की तामील ना होने पर राष्ट्रीय समाचार—पत्र राजस्थान पत्रिका में दिनांक 11/02/2016 गुरूवार को प्रत्यर्थी को आगामी दिनांक पर उपस्थित होने के संबंध में विज्ञप्ति जारी की गई। लेकिन प्रत्यर्थी उपस्थित ना होने पर एक पक्षीय बहस सुनी गई।

पेरोकार सरकार ने बहस मे तर्क दिया कि उक्त वाद आराजीयात पर रेस्पों द्वारा अवैध खनन करने के संबंध में ज्ञात होने पर दिनांक 12/01/2012 को पटवारी हल्का व भू—अभिलेख निरिक्षक वृत्त लिवाली द्वारा उप जिला कलेक्टर बामनवास की उपस्थिति में मौका का निरीक्षण कर खनन कार्य रूकवाया गया ,साथ ही पटवारी हल्का व भू—अभिलेख निरिक्षक वृत्त लिवाली को विस्तृत रिपोर्ट भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया। जिस संबंध में दिनांक 13/01/2012 को पटवारी हल्का एवं भू0अभिलेख निरिक्षक द्वारा जांच व सीमाज्ञान कर फर्द मौका रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसके अनुसार रेस्पोडेन्ट द्वारा उक्त वाद आराजीयात में से लगभग 25000 टन माल का अवैध खनन करना पाया गया है। जिस सन्दर्भ में राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम,1956 की धारा 89 (7) के अर्न्तगत यह अपील प्रस्तुत की गई है। अतः अपील स्वीकार करते हुए प्रत्यर्थी को जुर्माने से दण्डित करने का श्रम करे।

पेरोकार सरकार की एकतरफा बहस सुनने तथा उस पर मनन करने एवं पत्रावली का अवलोकन करने के पश्चात यह निष्कर्ष निकलता है कि दिनांक 13/01/2012 को पटवारी

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

हल्का एवं भू0अभिलेख निरिक्षक द्वारा जांच व सीमाज्ञान कर फर्द मौका रिपोर्ट के अनुसार रेस्पोडेन्ट द्वारा उक्त वाद आराजीयात में से लगभग 25000 टन माल का अवैध खनन करना पाया गया है। तहसीलदार बामनवास ने अपने पत्रांक 945 दिनांक 28/11/14 द्वारा खनि अभियन्ता करौली (राज0) ने अपने आदेश कमांक ख0अ0/करौ0/निर्माण/200/8 दिनांक 07/01/2011 की प्रति प्रस्तुत की है। जिसके द्वारा प्रत्यर्थी को ग्राम लिवाली में स्थित भूमि खं0नं0 26 व 28 में से 10,000 मौरस टन खनन करने हेतु स्वीकृति प्रदान की गई है तथा उक्त आदेश की शर्ते संख्या 6 के अनुसार अनुमतिधारी चरागाह भूमि में कोई खनन कार्य नहीं करेगा। लेकिन रेस्पोडेन्ट द्वारा चरागाह भूमि में से लगभग 25000 टन माल का अवैध खनन करना पाया गया हैं। जिसका जुर्माना राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 89 (7) के अनुसार पचास रूपये प्रति टन होना। जिसके अनुसार चरागाह भूमि में किए गये अवैध खनन 25000 टन का कुल जुर्माना 25000X50 = 12,50,000 देय होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाती है तथा तहसीलदार बामनवास को निर्देशित किया जाता है कि पेलन्टी/जुर्माना राशी की 12,50,000 रूपये की मांग कायमी बकाया के रूप में राजस्व लेखो में की जाकर उक्त जुर्माना/पेलन्टी राशि अप्रार्थी से वसूल की जावें।

निर्णय आज दिनांक 30/01/2017 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(भगवत सिंह देवल)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
सवाई माधोपुर